बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ0 बजट–आवंटन–15 / 2015– 120 आवंटन / कृ0, पटना, दिनांक 28/9/2015

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत योजना मद में स्वीकृत कृषि एवं उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्थापना से संबंधित वेतनादि के लिए वर्ष 2015–16 में कुल 2635.76 लाख रूपये (छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 26.35 लाख रूपये (छब्बीस लाख पैंतीस हजार रूपये) में से तत्काल 18.55 लाख रूपये (अठारह लाख पचपन हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹18,54,820 (अठारह लाख चौवन हजार आठ सौ बीस रूपये) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–4578 दिनांक–08.09.2015 द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत योजना मद में स्वीकृत कृषि एवं उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्थापना से संबंधित वेतनादि के लिए वर्ष 2015–16 में कुल 2635.76 लाख रूपये (छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 26.35 लाख रूपये (छब्बीस लाख पैंतीस हजार रूपये) में से तत्काल 18.55 लाख रूपये (अठारह लाख पचपन हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु ₹18,54,820 (अठारह लाख चौवन हजार आठ सौ बीस रूपये) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹18,54,820 (अठारह लाख चौवन हजार आठ सौ बीस रूपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०–1–उप शीर्ष–0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, विपत्र कोड–P2415017960104, अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में विषयशीर्ष–3104–सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि ₹20,69,000 (बीस लाख उनहत्तर हजार रूपये) मात्र में से ₹11,38,820 (ग्यारह लाख अड़तीस हजार आठ सौ बीस रूपये) एवं विषयशीर्ष 3106– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित ₹11,36,000 (ग्यारह लाख छत्तीस हजार रूपये) में से ₹7,16,000 (सात लाख सोलह हजार रूपये) विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

28/9/15

(प्रभु राम)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

D:\year -2014\21.04.2014 R.doc

ज्ञापांक 120 आवंटन /कृ0, पटना, दिनांक 28/9/ 2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक 120 आवंटन /कृ0, पटना, दिनांक 28/9/ 2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर /वित्त विभाग, (बजट–शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा–04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

D:\year -2014\21.04.2014 R.doc